मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 7–4/04/बी–ग्यारह

भोपाल, दिनांक 7 –10–2008

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय :– लघु उद्योगों हेतु उद्योग मित्र योजना, 2004 को पुनः एक वर्ष के लिए लागू किया जाना ।

सन्दर्भ :– इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 07/07/07 एवं दिनांक 07/08/08.

P.240/C P.291/C

राज्य शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2/ उद्योग मित्र योजना, 2004 की कण्डिका–4 में संशोधन करते हुए इस योजना को निम्नानुसार एक वर्ष के लिये पुनः लागू किया जाता है :–

'कण्डिका 4 –इस आदेश के जारी होने के दिनांक से योजनान्तर्गत एक वर्ष की अवधि में उद्योगों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे । प्राप्त आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि दिनांक 31/10/2009 होगी । आवेदनों के निराकरण के उपरान्त लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/12/2009 होगी । इस योजना के लाभ से पूर्वानुसार ऐसे उद्योगों/पट्टाधारकों को वंचित किया जायेगा जिन्होंने भूमि का पट्टा वर्तमान उद्योग के विस्तार के लिये अथवा निर्यातक इकाई स्थापित करने के लिये प्राप्त किया हो, किन्तु विस्तार हेतु प्राप्त की गई भूमि पर विस्तारित इकाई में उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो अथवा निर्यातक इकाई स्थापित न की हो । इस अवधि के उपरान्त योजना समाप्त मानी जावेगी व प्राप्त प्रकरणों का निराकरण तत्समय प्रचलित आवंटन नियमों अनुसार किया जायेगा ।'

3/ योजना के अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत रहेगी । कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.मंगोत्रा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग